

मांग संख्या 06
मुख्य शीर्ष 2052

मद क्रमांक 1-2

संचालनालय संस्थागत वित्त के अंतर्गत अन्य आकस्मिक व्यय तथा आतिथ्य व्यय पर क्रमशः रूपये 0.25 लाख तथा रूपये 1.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 3

यूरोपियन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थागत वित्त हेतु रूपये 2.99 लाख की अतिरिक्त राशि प्राप्त होना संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2054

मद क्रमांक 4-6

संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत प्रशिक्षण शालाओं के वेतन भत्ते हेतु रूपये 0.41 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 41,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 7-9

संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत निर्देशन एवं प्रशासन मद में वेतन भत्ते हेतु रूपये 14.94 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 14,94,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10-13

संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संभागीय स्थापना मद में वेतन भत्ते हेतु रूपये 4.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 14

यूरोपियन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय निधि संपरीक्षा हेतु रूपये 19.00 लाख की अतिरिक्त राशि प्राप्त होना संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 15-16

संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत बीमा योजना स्थापना मद में वेतन भत्ते हेतु रूपये 1.67 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।